

1	विभाग—	श्रम विभाग
2	योजना का नाम —	अक्षमता पेंशन योजना
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी—	पंजीकृत श्रमिक के दुर्घटना या बीमारी के कारण 50 प्रतिशत या अधिक स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर उसे परिवार के भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता देना। अकुशल श्रमिकों के लिए रू 1000, अर्द्ध कुशल श्रमिकों के लिए रू 1250 तथा कुशल श्रमिकों के लिए रू 1500 प्रतिमाह जीवन पर्यन्त पेंशन
4	पात्रता की अर्हता—	पंजीकृत श्रमिक जो दुर्घटना या बीमारी के कारण 50 प्रतिशत से अधिक स्थायी रूप से अक्षम हों और ई0 एस0 आई0 के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करने के पात्र न हों। यहाँ बीमारी से तात्पर्य लकवा, कुष्ठ रोग, कैंसर, तपेदिक या किसी ऐसी अन्य गम्भीर बीमारी से है, जिसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित निर्माण श्रमिक पूर्ण एवं स्थाई रूप से (50 प्रतिशत या इससे अधिक) अक्षम हो गया हो
5	आवेदन की प्रक्रिया—	पूर्ण एवं स्थायी अक्षम होने के तीन माह के भीतर दो फोटो के साथ आवेदन पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी/मंडलीय चिकित्सा परिषद द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न करते हुये तहसील कार्यालय, श्रम कार्यालय, अथवा खण्ड विकास कार्यालय में जमा करे। अधिकतम छः माह के भीतर प्रस्तुत आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकेगा।
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।